न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

विविध अपील वाद सं0–13/2022–23

मिथलेश प्रजापति वगै0 बनाम भीम प्रजापति वगै0

आदेश की क्रम एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
01/02/23	आवेदक मिथलेश प्रजापति, पिता–स्व0 सुखदेव प्रजापति वगै0 ग्राम–बकचुम्बा, अंचल कार्यालय कान्हाचट्टी, थाना–राजपुर, जिला–चतरा के द्वारा न्यायालय अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी का विविध वाद सख्या–04/2021–22 में दिनांक–15.03.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध अधिवक्ता के माध्यम से विविध अपील वाद दायर किया गया है। तद्नुसार यह वाद भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा के न्यायालय में प्रारंभ किया गया। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षों को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। संबंधित पक्षों के द्वारा अपने–अपने समर्थन में लिखित कथन समर्पित किया गया। **प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने लिखित बहस में उल्लेखित किया है कि**–"यह कि खाता संख्या–33 लंगड़ा अन्हक्ष कुमार के नाम से 3.43 डी0 जमीन सर्वे खतियान में दर्ज है। यह कि खाता संख्या–45 चेतो कुमार के नाम से रकवा–1.40 डी0 जमीन सर्वे खतियान में दर्ज है। यह कि दोनों के पिता एक हैं, जिनका नाम पुरन कुम्हार है। यह कि सर्वे के पहले दोनों के पिता पुरन कुम्हार ही जमीन हासिल किया था।" वंशावली लिखित बहस में वर्णित है। यह भी उल्लेखित किया गया है कि–"यह कि पुरन कुम्हार के मरने के बाद लंगड़ अन्हक्ष कुम्हार ही घर का मालिक बना चुकि वह बड़ा भाई था और चेतो कुम्हार छोटा भाई था और नाबालिक था, इसलिए घर का सारा कारोबार लंगड अन्हक्ष कुम्हार भाई ही देखभाल करता था। यह कि 19/11–12 ई0 में लंगड़ा अन्हक्ष कुम्हार बड़ा भाई होने के नाते सर्वे करने वाले पदाधिकारीगण से मिलकर अच्छा खासा जमीन का सर्वे खतियानी खाता संख्या–33, रकवा–3.43 डी0 जमीन का सर्वे खतियान अपने नाम से करवा लिया। यह कि लंगड़ा अन्हछ कुम्हार ही खाता सख्या–45, रकवा–1.40 डी0 जमीन का सर्वे, सर्वे कर्तागण से मिलकर बदनियत से अपना छोटा भाई यानी चेतो कुम्हार के नाम से 1.40 डी0 जमीन का सर्वे खतियान बनवा दिया। यह कि सर्वे के पहले और सर्वे के	

बाद दोनों भाई सम्मलित परिवार होने के कारण 4 एकड़ 83 डी0 जमीन का जोत पात करते थे और फसल उपजाते थे, कहीं कोई विवाद नहीं था। चूँकि दोनों भाई सम्मलित थे और पिता का ही हासिल किया हुआ जमीन था और शान्तिपूर्वक जोत–कोड़ करते रहे। यह कि कुछ दिनों के बाद चेतो कुम्हार बालिक हुआ तो अपना भाई लंगड़ अन्हक्ष कुम्हार के साथ बकझक होने लगा और 1922–23 ई0 में अपने गॉव में ही दोनों भाई मिलकर ग्रामीण पंचो को देवी मंडप में बुलाया जिसमेकं बाबू खेदू सिंह, चरन कुम्हार, हेमराज महतो, उतीम महतो, जयनाथ कोयरी, चुरामन कुम्हार वगैरह पंच में थे तथा इन लोगों के सामन दोनों के खाते का जमीन को शामिल कर दोनों भाईयों के बीच लिखित रूप से आधा आधा बाँट दिया गया। यह कि ग्रमीण पंचो ने कागजात को देखा तथा दोनों भाईयों से ब्यान लिया तो सभी पंचो ने मिलकर निर्णय लिया कि जब दोनों भाई हैं और एक ही बाप का बेटा है और सम्मलित हैं और पिता का ही हासिल किया हुआ जमीन है तो दोनों खतियान में दोनों भाई का हक बराबर–बराबर है जो इस फैसले को दोनों भाई खुशी राजी से मान लिए और बड़ा भाई अपना गलती को स्वीकार किया और दोनों भाई पंचों के समक्ष अपना–अपना अंगुठे का निशान बना दिए, और उसी फैसले पर प्रत्येक प्लॉट में आधा आधा जमीन का दोनों भाई मिलकर बंटवारा कर लिए, तथा घर कुँआ भी बांट लिए जो आज तक दोनों भाई के बीच 1922–23 के पंच के फैसले तथा बंटवारा के अनुसार जोत–कोड दखल कब्जा में है। यह कि लंगडा अन्हक्ष कुम्हार तथा चेतो कुम्हार के मरने के बाद 1959 ई0 में लंगड़ा अन्हक्ष कुम्हार के बेटा छटु कुम्हार ने अंचल अधिकारी चतरा को आवेदन दिया था कि खतियान के अनुसार अलग–अलग किया जाए तो चतरा के अंचल अधिकारी ने गवाहन के साथ इसमें मुखिया भी शामिल थे अंचल अधिकारी ने जॉचोंपरांत पाया कि दोनों एक ही बाप का बेटा है और हरेक प्लॉट में आधा जमीन का बंटवारा किया हुआ है, तथा 1922–23 ई0 का पंचायत के फैसले को देखा जो सही और सच है, तो उनका आवेदन को रद्द कर दिया, जिसका केस संख्या–50–1959 है। यह कि 1971 ई0 में फिर से छटु कुम्हार ने चतरा अंचल में आवेदन दिया कि अंकित खतियान के अनुसार लगान अलग–अलग किया जाय। यह कि चतरा अंचल अधिकारी ने 1972–73 ई0 में गवाहन के साथ स्थल जॉच किए जिसमें छटु कुम्हार के बेटा उमन कुम्हार को बुलाने के बाद भी जमीन पर नहीं पहुँचा और प्रसाद कुम्हार ने गवाहन के साथ सारे जमीन पर पहुँचा, और अंचल अधिकारी ने प्लॉट बाय

प्लॉट (हरेक प्लॉट) पर घुम घुमकर गवाहन के साथ देखा तथा गवाहन से ब्यान लिया तो अंचल अधिकारी जॉच के पश्चात् पाया कि 1922–23 ई0 में लगड़ा अन्हक्ष कुम्हार तथा चेतो कुम्हार के बीच पंचायती द्वारा आपसी बंटवारा हुआ है। पंचायत के समय बाबू खेदु सिंह, चरण कुम्हार वगैरह पंच में थे। उस आपसी बंटवारा में लंगड़ा अन्हक्ष कुम्हार तथा चेतो कुम्हार यानि दोनों भाई का आधा आधा हिस्सा मिला और उसी बंटवारे के अनुसार वे लोग दखलकार हुए, और आज भी दखलकार हैं। यह कि 1959 ई0 में भुतपूर्व अंचल अधिकारी, चतरा के जॉच के उपरांत उचित फैसला है जिसका केस सख्या–50/1959 है। ये सभी फैसले को देखते हुए अंचल अधिकारी ने छटु कुम्हार के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया यानि खारिज कर दिया और दोनों भाई के बंटवारा के सही और सच माना जिसका मोटेशन केस संख्या–2/72–73 है। यह कि 31/03–1973 के अंचल अधिकारी चतरा के आदेश के अनुसार दोनों भाई छटु कुम्हार वो प्रसाद कुम्हार के नाम से पंजी–2 पर कायम होकर रसीद काटा गया, जो 2014–15 तक निर्गत है। यह है कि भीम प्रजापति पिता–स्व0 शिवदेव प्रजापति, आशिष प्रजापति, पिता–स्व0 सत्यदेव प्रजापति, राजेश प्रजापति, पिता–स्व0 निरंजन प्रजापति इन लोगों ने गलत तरीके से अंचल अथा कोर्ट में वंशावली बनाकर दिखा रहा है और इनका कहना है कि मैं लंगड़ा अन्हक्ष कुम्हार का वंशज हूँ। यह कहना सरासर गलत है। जबकि मिथलेश प्रजापति का कहना है कि लंगड़ा अन्हक्ष कुम्हार तथा चेतो कुम्हार दोनों का पिता पुरन कुम्हार है, तो मैं मिथलेश प्रजापति वगैरह तथा भीम प्रजापति वगैरह दोनों भाई पुरन कुम्हार का ही वंशज है। यह कि भीम प्रजापति पिता स्व0 शिवदेव प्रजापति वगैरह इन लोगों ने गलत तरीके से एक फर्जी पंचायत का कागज बनाकर दिखा रहा है कि 13/06–1964 ई0 में प्रसाद कुम्हार तथा दुखन कुम्हार ने लिखित दे दिया है कि खाता संख्या–33 से कोई मतलब नहीं है जो सरासर गलत है चूँकि 1964 ई0 में किसी तरह का कोई भी पंचायत नहीं हुई है, यदि पंचायत होती तो 1972–73 का अंचल अधिकारी स्थल जॉच में क्यों नहीं आया? इसलिए 1964 का पंचायत का पेपर फर्जी है। यह कि भीम प्रजापति वगैरह एक पुराना फर्जी रसीद दिखा रहा है जिसका दिनांक स्पष्ट नहीं है, जमीन्दारी के समय से दोनों भाई का रसीद अलग खतियान के आधार पर कटते चला आ रहा था, जो सरासर गलत है। चूँकि खतियान के अनुसार कभी भी रसीद नहीं कटा है। यह कि 50 वर्षो के बाद फिर भीम प्रजापति वगैरह आवेदन अंचल कार्यालय कान्हाचट्टी में आवेदन दिए है कि

खतियान के अनुसार रसीद कटा जाय जबकि खतियान के अनुसार कभी भी रसीद नहीं कटा है। यह कि खाता संख्या–33 और 45 का कुल भूमि खतियान रैयत के पिता समय से ही आपसी सहमति से दोनों खयिनी रैयत के बीच आधा–आधा जमीन बंटवारा करके दोनों खाता 33 और 45 सम्मलित लगान दोनों खतियान रैयत छदु कुम्हार वा प्रसाद कुम्हार के नाम से रकवा–4 एकड़ 64 डी0 जमाबंदी पंजी–2 के 5/1 के कायम होकर लगान रसीद 2014–15 तक निर्गत है जिसका मोटेशन केस संख्या–2/1972, 73 जिसका दिनांक–31.03.1973 हैं। यह कि कान्हाचट्टी के अंचल अधिकारी ने बिना स्थल जॉच किए हुए 1. 1922–23 का पंचायत का फैसला 2. 1959 का अंचल अधिकारी, चतरा का फैसला, 3. 1972–73 के अंचल अधिकारी चतरा का फैसला ये तीनों फैसले को नजर अंदाज करते हुए गलत तरीके से 15/03/2022 को अधिकारी कान्हाचट्टी ने लिखा है कि मिथलेश प्रजापति वगैरह को खाता सख्या–33 में कोई हक नही बनता है। तो इस अंचल अधिकारी के फैसले को खारिज किया जाय और पुनः तीनों फैसला को देखते हुए पूर्व फैसले को पारित किया जाय। चुँकि 1964 ई0 में कोई पंचायत नहीं हुई है, इन लोगों ने फर्जी तरीके से कागजात बनाकर मिथलेश प्रजापति वगैरह से जमीनी विवाद पैदा कर काफी तंग कर रहें है। और आवेदकगण का जमीन को भीम प्रजापति वगैरह छिनना चाह रहें है। जबकि दोनो खाता का जमीन 100 वर्षो से उपर दोनों भाई के बीच आधा बंटा हुआ है, जो दोनो भाई का वंशज उस बटवारा पर अभी तक कायम है। और घर कुआँ मकान सब कुछ बना हुआ है। यह कि भीम प्रजापति वगैरह के दादा एवं पिता पंच फैसला दिनांक–28/12/1992 अंचल अधिकारी चतरा का पारित आदेश के सख्या–50/1959 अंचल अधिकारी चतरा का पारित आदेश केस संख्या–2/1972–73 के विरूद्ध कोई अपील अभी तक नहीं किए तथा तीनों फैसला बरकरार रहा। यह है कि भीम प्रजापति वगैरह के द्वारा एक आवेदन अपर समाहर्त्ता के यहाँ दिया था के खतियान के अनुसार लगान बांधा जाय उस संबंध में पत्रांक–1680 दिनांक–26.06.2021 को जॉच के लिए अपर समाहर्त्ता चतरा ने कान्हाचट्टी अंचल कार्यालय को जॉच के लिए भेजा था लेकिन आज तक कोई जॉच अंचलाधिकारी कान्हाचट्टी द्वारा नही हुआ। यह कि दण्डाधिकारी सह अनुमण्डल पदाधिकारी को भी भीम प्रजापति वगैरह गोपनीय शाखा में आवेदन दिया था कि पूर्व में खतियान के अनुसार रसीद कटता था, तो पुनः उसी तरह काटा जाय जो सरासर गलत है। चूँकि खतियान के अनुसार रसीद कभी अलग–अलग नही कटा है तो इसी तरह

चतरा अनुमण्डल पदाधिकारीने जॉच के लिए अंचलाधिकारी कान्हाचट्टी को नोटिस दिया था जिसका पत्रांक–11/6/2021 दिनांक–15.06.2022 के तहत् अंचलधिकारी कान्हाचट्टी को नोटिस दिया था कि जॉच कर सही रिर्पोट भेजो लेकिन आज तक अंचलधिकारी कान्हाचट्टी ने कोई जॉच नहीं किया और अपने मर्जी से बैठे–बैठे आदेश पारित कर दिया कि खाता संख्या–33 में मिथलेश प्रजापति वगैरह का कोई हक नहीं बनता है जिसका जॉच–पड़ताल आज तक नही हुआ हैं। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि दिनांक–15.03.2022 को अंचल अधिकारी कान्हाचट्टी का आदेश का निरस्त करते हुए दिनांक–28.12.1922 ई० को पंच फैसला तथा अंचल अधिकारी चतरा का पारित आदेश संख्या–50/1959 का तथा अंचलाधिकारी चतरा का पारित आदेश केस संख्या–02/1972–73 का बरकरार रखा जाए तथा आवेदकगण मिथलेश प्रजापति वगैरह का आवेदन स्वीकृत किया जाय तथा द्वितीय पक्ष का आवेदन खारिज किया जाय।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित बहस में यह उल्लेखित किया है कि यह कि– यह कि विद्वान अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी के द्वारा विविध वाद संख्या–04/2021–22 (भीम प्रजापति वगैरह बनाम मिथलेश प्रजापति वगैरह) किया गया आदेश झारखण्ड रिकॉर्ड मेन्टेनेन्स एक्ट 1973 के तहत विधिपूर्ण रूप से किया गया, जिसे अपीलार्थीगण को चुनौती देने का आधार काल्पनिक एवं बनावटी है, उपरोक्त अपील वाद खारिज करने लायक है। यह कि विद्वान अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी के द्वारा अपीलार्थी एवं विपक्षीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर न्यायोचित आदेश पारित किया गया है। यह कि अपीलार्थी का अपील वाद मर्यादा अधिनियम की नियमों के अनुसार दाखिल नहीं किया गया है तथा मर्यादा अधिनियम के प्रतिकुल रहने के कारण खारिज करने के लायक है। यह कि विपक्षीगण के द्वारा अंचल कार्यालय, कान्हाचट्टी में आवेदन प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया था कि साकिन/मौजा–बकचुम्बा, थाना–राजपुर, जिला–चतरा के अंदर खाता संख्या–33 की कुल रकवा–3.43 एकड़ जमीन, इनके पूर्वज लंगड़ा अन्हच्छ कुमार के नाम से रैयती कायमी जमीन है तथा विपक्षीगण के द्वारा यह भी अनुरोध किया गया था कि साकिन/मौजा बकचुम्बा, खाता संख्या–45, रकवा–1.40 एकड़ जमीन चैतु कुम्हार के नाम से रैयती कायमी जमीन हैं। ***विपक्षीगण का दावाः–*** यह कि विपक्षीगण के द्वारा श्रीमान् से निवेदन करना

है कि साकिन/मौजा बकचुम्बा, थाना–राजपुर, जिला–चतरा की जमीन सर्वे खतियान में दर्ज खाता सख्या–33, रकवा–3.43 एकड़ जमीन लंगड़ा अन्हच्छ कुम्हार के नाम से रैयती कायमी जमीन है, जिसपर लंगड़ा अन्हच्छ कुम्हार शांतिपूर्वक अपने जीवन काल तक काबिज–दखलकार रहे तथा फसल लगाकर अपने मशरफ में लाते रहे। यह कि आगे कथन करना है कि सर्वे रैयत लंगड़ा अन्हच्छ अपने वारिसान के रूप में एक पुत्र छटु कुम्हार को छोड़कर मरे, जो अपने पिता के मरने के बाद छटु कुम्हार अपने पिता के रैयती जमीन पर शांतिपर्वूक काबिज दखलकार हुए तथा फसल लगाकर अपने मशरफ में लाते रहे। यह कि छटु कुम्हार अपने वारिसान एवं उतराधिकारी के रूप में चार पुत्र को छोड़कर मरे, जिनका नाम क्रमशः 1. शिवदेव कुम्हार, 2. उमन कुम्हार, 3. निरंजन कुम्हार, 4. बिरजन कुम्हार थे, जो अपने पिता के मरने के बाद शांतिपर्वूक काबिज दखलकार रहे। यह कि शिवदेव कुम्हार एक पुत्र भीम कुम्हार को छोड़कर मरे। उसी प्रकार उमन कुम्हार अपने पुत्र सत्यदेव कुम्हार को अपने वारिसान एवं उतराधिकारी के रूप में छोड़कर मरें, ठीक उसी प्रकार सत्यदेव कुम्हार तीन पुत्र को छोड़कर मरे, जिनका नाम क्रमशः 1. आशिष प्रजापति, 2. विकास प्रजापति, 3. तरूण प्रजापति जो अपने पैतृक रैयती जमीन पर निर्विवाद्ध रूप से शांतिपवूक काबिज दखलकार चले आ रहे हैं। यह कि निरंजन कुम्हार अपने वारिसान एवं उतराधिकारी के रूप में चार पुत्र को छोड़कर मरे, जिनका नाम 1. राजेश प्रजापति, 2. मनोज प्रजापति, 3. उदय प्रजापति, 4. कृष्णा प्रजापति है, जो अपने पिता के मरने के बाद संयुक्त रूप से काबिज दखलकार चले आ रहे हैं। यह कि बिरंजन कुम्हार अपने वारिसान एवं उतराधिकारी के रूप में संतोष प्रजापति एवं दिलीप प्रजापति को छोड़कर मरे, जो अपने पिता के मरने के बाद शांतिपूर्वक काबिज दखलकार हुए एवं फसल लगाकर अपने मशरफ में लाते रहे। यह कि विपक्षीगण का आगे कहना है कि खाता सख्या–45, चेतो कुम्हार के नाम से सर्वे खतियानी जमीन है तथा खाता संख्या–45 के अंदर कुल रकवा–1.40 एकड़ जमीन है, जो सर्वे खतियानी रैयत चैतो कुम्हार अपने जीवनकाल तक काबिज दखलकार रहे। अपीलार्थीगण चेतो कुम्हार के वंशज के है, जो खाता सख्या–45 पर ही हक एवं स्वामित्व है। खाता सख्या–33 एवं 45 दो अलग–अलग खाते की जमीन है, तथा एक दूसरे से भिन्न है कि सर्वे के समय लंगड़ा अन्हच्छ खाता सख्या–33 के जमीन पर काबिज थे तथा लंगड़ा अन्हच्छ के वारिसान एवं उतराधिकारी अभी वर्तमान में इस मुकदमें में विपक्षीगण हैं। दोनों खतियान

देखने से ही स्पष्ट होता है कि एकल हक–अधिकार एवं दखल–कब्जे का सुजन है तथा एक दूसरे से मिश्रित नही है एवं संयुक्त नही हैं। यह कि विपक्षीगण का आगे निवदेन करना तथा श्रीमान् का ध्यान आकृष्ट कराना है कि जमीन्दारी के समय खाता संख्या–33 एवं खाता संख्या–45 की जमीन का जमीन्दारी रसीद पृथक–पृथक रूप से जमीन्दारी सिरिस्ता में पृथक होकर जमीन्दारी रसीद निर्गत होते रहा है। यह कि यहॉ यह भी उल्लेख करना है कि जमीन्दारी उन्मूलन के बाद लंगड़ अन्हच्छ एवं चेतो कुम्हार का जमाबंदी पृथक–पृथक रूप से चला आ रहा था, जो बहुत वर्षो के बाद अपीलार्थीगण के पिता के द्वारा खाता संख्या–33 एवं 45 का लगान एक साथ करवा लिये, परंतु प्रश्नगत जमीन पर पृथक–पृथक रूप से जोत–कोड़ कर फसल लगाकर अपने मशरफ में लाते रहे हैं। यह कि अपीलार्थीगण के द्वारा विपक्षीगण की जमीन पर जोत–कोड़ करने हेतु झुठा दावी करने का षड़यंत्र रचने लगे एवं अपीलार्थीगण के द्वारा विपक्षीगण की जमीन को हड़पने हेतु एक जाली पंचायत की कागजात तैयार किया है, जबकि अपीलार्थीगण एवं विपक्षीगण के पूर्वज के बीच कभी भी जमीन के हक–हिस्से हेतु कोई पंचायती नही हुई है तथा सादे पंचायती का कागजात का कोई विधिक महत्व नहीं होता है तथा किसी भी विधि के तहत् पोषणीय नहीं है। यह कि अपीलार्थीगण ने श्रीमान् के ध्यान को तथावस्तु से हटाने हेतु गलत कथन किया है कि पंचों ने लिखित रूप से दोनों भाईयों के बीच खाता संख्या–33 एवं खाता संख्या–45 का पुरा जमीन, मकान कुँआ, रकवा–4.84 एकड़ जमीन दोनों भाईयों के बीच बराबर–बराबर बांट दिया गया है। उपरोक्त कथन के आलोक में निवेदन करना है कि लंगड़ा अन्हच्छ कुम्हार एवं चेतो कुम्हार के बीच या उनके वारिसानों के बीच किसी प्रकार का बंटवारा खाता संख्या–33 एवं 45 के जमीन के बावत किसी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं हुआ है। अपीलार्थीगण का मनगढ़ंत, काल्पनिक, बनावटी बातों पर आधारित है, सत्य है कि लंगड़ अन्हच्छ कुम्हार अपने खाता संख्या–33 की जमीन पर सम्पूर्ण जमीन पर पृथक रूप से काबिज दखलकार रहे तथा इनके मरने के बाद वारिसान लोग शांतिपूर्वक काबिज दखलकार चले आ रहे है, उसी प्रकार से चेतो कुम्हार खाता संख्या–45 की जमीन पर पृथक रूप से काबिज दखलकार रहे तथा इनके मरने के बाद अपीलार्थीगण काबिज दखलकार चले आ रहे हैं। अपीलार्थीगण काफी धूर्त एवं चालाक व्यक्ति हैं, जो अपनी चतुराई एवं जाली पंचायती कागजात के आधार पर खाता संख्या–33 की जमीन को भी बंटवारा कर लेना चाहता है।

यह कि आगे कथन करना है कि प्रसाद कुम्हार वो दुःखन कुम्हार पिता–स्व0 चेतो कुम्हार ने गवाहन रामलाल महतो, चरण महतो, रामदेव मिस्त्री, गोपाल प्रसाद के समक्ष लिखित रूप से घोषणा किया है कि छटु कुम्हार पिता–लंगड़ा अन्हच्छ कुम्हार के नाम से लिखा है, खाता संख्या–33, साकिन/मौजा–बकचुम्बा की जमीन जो सर्वे खतियान में लंगड़ा अन्हच्छ कुम्हार के नाम से है, उस जमीन पर हमलोग या हमलोग वारिसान लोग किसी प्रकार का हक दावा नहीं करेंगे। यह कि विविध वाद सख्या–02/1972–73 दिनांक–31.03.1973 के पारित आदेश की जानकारी विपक्षीगण को नहीं है तथा उक्त आदेश के अनुसार कोई भी पक्षकार काबिज दखलकार नही हुए, बल्कि सर्वे खतियान के अनुसार दोनों पक्ष अपने अपने जमीन पर काबिज दखलकार चले आ रहे हैं। अंचल अधिकारी को जमीन के हक–हकियत से संबंधित बंटवारा करने या उससे संबंधित निर्णय करने का क्षेत्राधिकार नहीं हैं, बल्कि अंचल अधिकारी को जमाबंदी संबंधित मामले की सुनवाई Jharkhand Record Maintenance Act 1973 के धारा में अधिकार प्रदत किया गया है। विधि के तहत् यदि किसी प्रकार का त्रुटि या भूल होता है तो किसी भी पक्षकार को विधि के तहत चुनौती देने का अधिकार का कोई सीमा नही है। किसी समय भी विधि के तहत चुनौती दिया जा सकता है। यह कि विविध वाद संख्या–02/1972–73 में पारित किया गया आदेश अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी पर बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि उक्त आदेश न्यायिक ढंग से नही किया गया था तथा बिना किसी दस्तावेज के अवलोकन किय बगैर ही अपीलार्थीगण के पिता के द्वारा साजिश एवं षड़यंत्र के तहत प्राप्त किया गया आदेश है। अचंल अधिकारी, कान्हाचट्टी के द्वारा उक्त आदेश को अवलोकन किया, जिसमें काफी त्रुटि एवं अवैधानिक रूप से पारित किया गया आदेश पाया और उक्त आदेश को अनुसरण नही करते हुए झारखण्ड मेन्टेनेन्स एक्ट 1973 की धारा 14 के तहत् आदेश पारित किया है। यह कि विपक्षीगण के द्वारा दाखिल किया गया दस्तावेज सही एवं सत्य है तथा अपीलार्थीगण के द्वारा जाली एवं बनावटी कहा जाना न्यायोचित नही हैं। यह कि अपीलार्थीगण ने अपने मेमो ऑफ अपील में यह तथ्यों का उल्लेख किया है कि अंचल अधिकारी के पूछने को पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि अगल कोई पदाधिकारी गलत फैसला करता है तो उस फैसले को मैं मानने के लिए तैयार नही हूँ। यह कि अपीलार्थीगण ने अपने अपील में गलत कथन उल्लेख किया है कि वंशावली सर्वे खतियानी रैयत के वंशज एवं उतराधिकारी होने के आधार पर दाखिल किया है तथा विपक्षीगण

अपलार्थीगण के वंशज के बिन्दु पर कभी भी आपति व्यक्त नही किया है। यह कि विधि का सिद्धान्त है कि (Oral evidence cannot be supersed upon the documetry evidence.) B.L.J.R. 2001, Page No----------------Patna High Court. यह कि विपक्षीगण अपने दावे के समर्थन में खतियान, जमीन्दारी मालगुजारी रसीद एवं सरकारी मालगुजारी रसीद दाखिल किया है तथा विपक्षीगण का प्रश्नगत जमीन पर शांतिपर्वूक काबिज–दखलकार चला आ रहा है। यह कि अवैध जमाबंदी के संबंध में **माननीय, झारखण्ड हाई कोर्ट के द्वारा विधि का अवधारणा दिया गया है कि"अवैध जमाबंदी को रद्द करने में किसी प्रकार का रोक नहीं करता है, J.C.R. 2009, Vol 2, Page No. 153 (Jharkhand High Court)** तथा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा गलत तरीके से खोला गया जमाबंदी के आलोक में निर्णय दिया है कि **Jamabandi best on forged sada Hukumnama in collusion with the govt. officials without obtaining order of competent authority is illegal and legal to be cancelled. JCR 428 (Jhr.)** यह कि अपीलार्थीगण के द्वारा लाया गया अपील मनगंढ़त एवं बनावटी बातों पर आधारित है, जिसे खारिज करने की कृपा की जाय। तथा अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी के द्वारा विविध वाद सख्या–04/2021–22 में पारित कियाा गया आदेश को यथावत रखने की कृपा की जाय। यह कि विपक्षीगण के द्वारा दाखिल किया गया प्रश्नगत जमीन से संबंधित दस्तावेज एवं लिखित कथन से स्पष्ट होता है कि मौजा–बकचुम्बा के अंदर खाता संख्या–33 के तहत् कुल रकवा–3.43 एकड़ जमीन पर हक – अधिकार एवं दखल कब्जे का सृजन होता है तथा दावा की सम्पुष्टी सिद्ध होती है तथा अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी के द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक–15.03.2022 को यथावत रखने की कृपा की जाय एवं अपीलार्थीगण के द्वारा खाता सख्या–33 पर किया गया दावा को सिद्ध करने में असफल रहे हैं एवं संयुक्त रहने का कोई दस्तावेज श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत नही किया है। अतएव अपलार्थीगण के द्वारा दाखिल किया गया श्रीमान् के समक्ष अपील वाद को खारिज करने की कृपा की जाय। अतः श्रीमान् से विपक्षीगण करवद्ध निवेदन करते हैं कि अपीलार्थीगण के अपील वाद को खारिज करते हुए विद्वान अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी के द्वारा पारित किया गया विविध वाद सख्या–04/2021–22 के आदेश दिनांक–15.03.2022 को यथावत् रखने की कृपा की जाय तथा खतियान के अनुसार जमाबंदी कायम कर सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत करने की कृपा की जाय।

अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी के आदेश फलक में उल्लेखित किया है **कि–** प्रस्तुत विविध वाद सख्या–04/2021–22 का अभिलेख का संधारण आवेदक भीम प्रजापति, पिता–शिवदेव प्रजापति, आशिष प्रजापति, पिता–सत्यदेव प्रजापति, राजेश प्रजापति, पिता–स्व0 निरंजन प्रजापति एवं दिलिप प्रजापति, पिता–स्व0 बिरजन प्रजापति, सभी निवासी ग्राम–बकचुम्बा, थाना–राजपुर, अंचल–कान्हाचट्टी, जिला–चतरा के द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा एवं अपर समाहर्त्ता चतरा के समक्ष दिया गया आवेदन पत्र अद्योहस्ताक्षरी के जॉच एवं कार्रवाई हेतु प्राप्त होने के उपरांत किया गया है। आवेदन पत्र अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा का कार्यालय पत्रांक–1115/गो0 दिनांक–15.06.2021 एवं अपर समाहर्त्ता, चतरा के पत्रांक–1680/रा0 दिनांक–26.06.2021 के माध्यम से प्राप्त है। आवेदकगण द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरीत आवेदन में उल्लेख है कि राजस्य ग्राम–बकचुम्बा के **खाता संख्या–33** रैयती खाता की कुल 3.43 एकड़ उनके पूर्वज लंगड़ा अन्हच्छ कुम्हार के नाम रैयती दर्ज है। इसी गांव के एक अन्य खाता **सख्या–45** की रकवा–1.40 एकड़ जमीन चेतो कुम्हार के नाम रैयती दर्ज है। जमीन्दारी के समय से दोनों खतियानी रैयत भाई है, और उनके नाम अलग–अलग लगान रसीद कट रही थी। बाद में खाता संख्या–45 के रैयत चेतो कुम्हार के वंशज साक्षर होने के कारण फर्जी तरीका से उपर्युक्त दोनो खाते की जमीन का संयुक्त रूप से दोनों खतियानी रैयत के नाम करवा लिया और मूल खतियानी रैयत चेतो कुम्हार के वंशज मिथलेश प्रजापति स्व0 सुखदेव प्रजापति आवेदक को तंग कर रहे है। इसके पूर्व आवेदकगण के पिता ने पूर्व की भांति खतियान के अनुसार रसीद अलग–अलग करने हेतु आवेदन दिया था। उक्त आवेदन पत्र की जॉच हुई और राजस्व कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षक ने अपने जॉच प्रतिवेदन में खतियानी भूमि अनुसार रखल कब्जा प्रतिवेदित करते हुए अलग–अलग रसीद निर्गत करने हेतु प्रतिवेदन दिया था। परंतु कार्रवाई पूर्ण नहीं हुई। उपर्युक्त आधार पर आवेदकगण द्वारा खतियानी प्रविष्टि के अनुसार खाता सख्या–33 एवं 45 का अलग–अलग रसीद निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। जो आवेदन के साथ अनुलग्नक कागजात अभिलेख में संधारित है। आवेदन पत्र के आलोक में राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का संयुक्त जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जो अभिलेख में संलग्न है। जॉच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि ग्राम–बकचुम्बा का खाता संख्या–33 एवं 45 सर्वे अभिलेख अनुसार रैयती दर्ज है। खाता संख्या–33 लंगड़ा अन्हच्छ कुम्हार पिता–पुरन कुम्हार के

नाम 3.43 एकड़ रैयती भूमि है। इसी प्रकार खता सख्या–45 की 1.40 एकड़ जमीन चेतो कुम्हार पिता–पुरन कुम्हार के नाम रैयती दर्ज है। खतियानी रैयत के वंशज ने जॉच क्रम में बतलाया कि दोनों रैयत के वंशज जमीन बंटवारा कर दखलकार है। प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रश्नगत मामले के संबंध में दिनांक–04.05.1972 को तत्कालीन राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक, चतरा अंचल (पैतृक अचंल) द्वारा एक प्रतिवेदन दिया गया था। खाता सख्या–33 संबंधित लगान रसीद निर्गत हुई थी। जिसमें निर्गत तिथि स्पष्ट नहीं है। वर्तमान में पंजी–2 के पृष्ट संख्या–51/1, पर 4.64 एकड़ की जमाबंदी दर्ज है और वर्ष 2014–15 तक रसीद निर्गत हुई है। जमाबंदी एक साथ कायम होने संबंधी आधार पंजी–2 पर दर्ज नहीं है। प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट होता है कि वर्णित दोनों सर्वे खाता संख्या–33 एवं 45 के खतियानी रैयत के पिता का नाम एक ही है। वर्तमान में किस आधार पर दोनों खाता के संयुक्त जमाबंदी कायम हुई। यह विचारणीय है। विषयगत मामले से संबंधित उपलब्ध राजस्व कागजातों एवं राजस्व उपनिरीक्षक तथा अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है, कि दिलिप कुमार द्वारा समर्पित शपथ पत्र के अनुसार सभी आवेदकगण खतियानी रैयत लंगड़ा अन्छ कुम्हार के वंशज है जो खाता संख्या–33 के रैयत है। इस वंशावली में खाता संख्या–45 के रैयत के वंशज का कोई संबंध नहीं है। इस आधार पर प्रतिपक्षी मिथिलेश प्रजापति कोई हक खाता संख्या–33 के खतियान रैयत के वर्तमान वंशज (आवेदकगण) की जमीन पर दावा उचित प्रतित नहीं होता है। आवेदक की ओर से प्रस्तुत पंचायतनामा कागजात जो दिनांक–13.06.1964 को निष्पादित है, अवलोकन से ज्ञात है कि खाता संख्या–33 की भूमि के संबंध में प्रसाद कुम्हार एवं दुखन कुम्हार ने पंचायत के समक्ष लिखित रूप से अपना दावा छोड़ दिया है। प्रसाद कुम्हार वगै0 वर्तमान प्रतिद्वंदी के ही पूर्वज है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि दावा प्रतिदावा की मूल जड़ से वर्तमान खाता सख्या–33 एवं 45 से संबंधित कायम संयुक्त जमाबंदी है, जो नियमतः आधारहीन प्रतीत होता है। चूँकि सर्वे खतियान एक अधिकार अभिलेख है और खतियानी प्रविष्टि स्वतः खतियानी रैयत के अधिकार की पुष्टि करता है। यद्यपि दो अलग–अलग सर्वे खाता के रैयत के पिता एक ही है, फिर भी खाता संख्या–33 एवं खाता संख्या–45 के रैयत व्यक्तिगत स्वत्वाधिकार के हकदर होते है। अतः उपर्युक्त तथ्यगत विवेचना के आधार पर उपर्युक्त दोनों सर्वे खाता की जमीन अलग–रैयतों के नाम से दर्ज है का सामिलात लगान

खतियान में दर्ज है, इसलिए आवश्यक होगा कि दोनों पक्ष खतियानी लगान के अनुपातिक हिस्सानुसार अपना–अपना खतियानी अधिकार अनुसार जमाबंदी अलग कायम कराने हेतु पहल करें। अन्यथा उभय पक्ष सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं।''

उपरोक्त दोनों पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं **द्वारा समर्पित लिखित कथन, अंचल अधिकारी,** कान्हाचट्टी **द्वारा पारित आदेष एवं अभिलेख में संलग्न अन्य कागजातों के आधार पर निम्नांकित बिन्दु परिलक्षित होते है :–**

1. रैयती भूमि का मामला।
2. प्रथम पक्ष के द्वारा सर्वे रैयत लंगड़ा अन्हक्ष कुम्हार तथा चेतो कुम्हार के बीच आपसी बँटवारा के अनुसार खाता संख्या–33 एवं 45 दोनों की भूमि पर आधा–आधा हिस्सा का दावा किया जाना।
3. दोनों पक्षों का दोनो खाता संख्या–33 एवं 45 की भूमि पर दखल कब्जा होना।
4. द्वितीय पक्ष के द्वारा अलग–अलग खतियानी रैयत के वंशज के होने के आधार खाता संख्या–33 के सम्पूर्ण भूमि पर दावा किया जाना।
5. खाता संख्या–33 एवं 45 का संयुक्त जमाबंदी कायम होकर रसीद निर्गत होने का मामला।

(1) **रैयती भूमि का मामला :–** अंचल अधिकारी, **कान्हाचट्टी के आदेश फलक में उल्लेखित किया है कि**–''ग्राम–बकचुम्बा का खाता संख्या–33 एवं 45 सर्वे अभिलेख अनुसार रैयती दर्ज है। **खाता संख्या–33 लंगड़ा अन्हच्छ कुम्हार पिता–पुरन कुम्हार** के नाम 3.43 एकड़ रैयती भूमि है। इसी प्रकार **खाता सख्या–45** की 1.40 एकड़ जमीन **चेतो कुम्हार पिता–पुरन कुम्हार** के नाम रैयती दर्ज है।'' दोनों सर्वे रैयत के पिता एक ही व्यक्ति पुरन कुम्हार है।

(2) **<u>प्रथम पक्ष के द्वारा सर्वे रैयत लंगड़ा अन्हक्ष कुम्हार तथा चेतो कुम्हार के बीच आपसी बँटवारा के</u>** <u>अनुसार</u> **<u>खाता संख्या–33</u>** <u>एवं</u> **<u>45 दोनों की भूमि पर आधा–आधा हिस्सा का दावा किया जाना</u> :– प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने लिखित कथन में उल्लेखित किया है कि**–''खाता संख्या–33 और 45 का कुल भूमि खतियान रैयत के पिता समय से ही आपसी सहमति से दोनों खयिानी रैयत के बीच आधा–आधा जमीन बंटवारा करके दोनों खाता 33 और 45 सम्मलित लगान दोनों खतियान रैयत छटु कुम्हार वो प्रसाद कुम्हार के नाम से रकवा– 4 एकड़ 64 डी0 जमाबंदी पंजी–2 के 5/1 के कायम होकर लगान रसीद 2014–15 तक निर्गत है जिसका मोटेशन केस संख्या–2/1972, 73 जिसका दिनांक–31.03.1973 हैं।''

12 Misc

(3) दोनों पक्षों का दोनो खाता संख्या–33 एवं 45 की भूमि पर दखल कब्जा होना :–अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी का आदेश दिनांक–02.08.2021 एवं राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन जो निम्न न्यायालय अभिलेख में संलग्न है, में अंकित है कि–"दोनों खाता के जमीन पर दोनों पक्षों का दखल है।"

(4) द्वितीय पक्ष के द्वारा अलग–अलग खतियानी रैयत के वंषज के होने के आधार खाता संख्या–33 के सम्पूर्ण भूमि पर दावा किया जाना :– द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने लिखित कथन में यह उल्लेखित किया है कि–"मौजा–बकचुम्बा के अंदर खाता संख्या–33 के तहत् कुल रकवा–3.43 एकड़ जमीन पर हक – अधिकार एवं दखल कब्जा का सृजन होता है तथा दावा की सम्पुष्टी सिद्ध होती है तथा अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी के द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक–15.03.2022 को यथावत रखने की कृपा की जाय एवं अपीलार्थीगण के द्वारा खाता सख्या–33 पर किया गया दावा को सिद्ध करने में असफल रहे हैं एवं संयुक्त रहने का कोई दस्तावेज श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत नही किया है। अतएव अपलार्थीगण के द्वारा दाखिल किया गया श्रीमान् के समक्ष अपील वाद को खारिज करने की कृपा की जाय। अतः श्रीमान् से विपक्षीगण करवद्ध निवेदन करते हैं कि अपीलार्थीगण के अपील वाद को खारिज करते हुए विद्वान अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी के द्वारा पारित किया गया विविध वाद सख्या–04/2021–22 के आदेश दिनांक–15.03.2022 को यथावत् रखने की कृपा की जाय तथा **खतियान के अनुसार जमाबंदी कायम** कर सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत करने की कृपा की जाय।"

(5) खाता संख्या–33 एवं 45 का संयुक्त जमाबंदी कायम होकर रसीद निर्गत होने का मामला :– अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी के आदेश फलक में उल्लेखित किया है कि–"वर्तमान में पंजी–2 के पृष्ट संख्या–51/1, पर 4.64 एकड़ की जमाबंदी दर्ज है और वर्ष 2014–15 तक रसीद निर्गत हुई है।"

उपरोक्त तथ्यों के अलावे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण Judgement इस तरह है –

In the case of "Sitaram Choubey & Ors. - versus - State of Bihar & Ors., reported in 1993 (2) PLJR 255" as well as the Supreme Court in the case of of "Suraj Bhan & Ors.- versus- Financial Commissioner & Others, reported in (2007) 6 SCC 186" have held that entries in the revenue records does not confer title on a person whose name appears in record

of-rights. The creation of Jamabandi neither creates any right and title in favour of one or the other nor cancellation of Jamabandi extinguishes right and title of actual owner. The entries in the revenue records or Jamabandi have only "fiscal purpose" and be ownership in conferred on the basis of such entries. The title of the property can only be decided by a competent civil court.

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के आधार पर संबंधित जमीन में स्वामित्व का मामला परिलक्षित होता है। खतियान के मुताबिक जमीन का किस्म रैयती है। इस न्यायालय से कोई फैसला देना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस मामलें में civil court/सक्षम न्यायालय ही निर्णय ले सकता है। संबंधित पक्ष civil court /सक्षम न्यायालय की शरण में जा सकते है।

संबंधित मूल अभिलेख एवं आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी को भेजें।

वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)

01/02/23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

01/02/23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

Digitally signed by GOURANG MAHATO
Date: 2023.08.24 00:56:31 -07:00
Location: 2409:40e4:69:999e:2771:c998:cabb:fa0a